कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 211 /11–सी–FP/UP/Road/146875/2021, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 25 ,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

विषयः– सीतापुर–हरदोई (राजमार्ग संख्या–330डी) के किमी0 0.000 से 38.853 तक दो लेन से चार लेन पेब सोल्डर सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 28.707 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई वन प्रभाग में प्रभावित 8.28 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1200 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 36.987 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2749 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–2110/11–सी–FP/UP/Road/146875/2021, दिनांक 22.12.2022 एवं आपका पत्रांक–5762/14–10–4, दिनांक 26.06.2023

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में इंगित की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को इस कार्यालय को ऑनलाइन प्रेषित किया गया। ऑनलाइन प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन में पुनः निम्नलिखित कमियॉं/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

<u>ऑनलाइन पार्ट–1 में प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर पर पायी गयी कमियॉंः–</u>

1. हरदोई वन प्रभाग की प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल गलत अपलोड है। यह ओपन करने पर इण्डिया के बाहर दर्शित हो रही है। अतः सही के0एम0एल0 फाइल अपलोड करें।
2. हरदोई एवं सीतापुर वन प्रभाग की अपलोड किये गये प्रस्तावित वनभूमि के Geo Referenced Digital Map पर जियो कोआर्डिनेटस अंकित नहीं है।
3. ऑनलाइन पार्ट–1 में अपलोड किये गये लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धी प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर व प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में सही लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड करें।

<u>ऑनलाइन पार्ट–2 में DFO के स्तर पर पायी गयी कमियॉंः–</u>

<u>हरदोई वन प्रभागः–</u>

1. ऑनलाइन के क्रमांक–13(iii) व (iv) में अपलोड किया गया CA का Geo Referenced Digital Map & SoI Toposheet प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।
2. ऑनलाइन के क्रमांक–13(ii) में CA का पूर्ण प्राक्कलन अपलोड नहीं है तथा प्राक्कलन में सेन्टेज चार्ज लिया गया है, जोकि नियमानुसार नहीं है। अतः सेन्टेज चार्ज को छोड़कर संशोधित पूर्ण प्राक्कलन धनराशि सहित ऑनलाइन अपलोड करें।
3. याचक विभाग तथा प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।
4. परियोजना में पातन होने वाले बाधक वृक्षों का व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची एवं सारांश/गोशवारा अपलोड नहीं है।
5. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।
6. अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
7. प्रभागीय वनाधिकारी का संस्तुति हिन्दी भाग–2 ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
8. ऑनलाइन के Additional Information Detail में अपलोड किया गया CA का Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet एवं प्राक्कलन त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलिट करें।
9. पूर्ण प्रस्ताव की एक सिंगल पी0डी0एफ0 फाइल एवं Covering Letter एवं चेक लिस्ट कॉलम में टिक (√) करके चेक लिस्ट अपलोड करें।

<u>सीतापुर वन प्रभागः–</u>

1. ऑनलाइन के क्रमांक–5 Working plan prescription for the forest land proposed for diversion में विवरण गलत फीड है।
2. ऑनलाइन के क्रमांक–13(i) में अपलोड CA स्थल की वैधानिक स्थिति तथा CA की धनराशि गलत फीड है। अतः सही वैधानिक स्थिति RF तथा सही धनराशि रू0 115.57758 लाख फीड करें।
3. ऑनलाइन के क्रमांक–13(ii) में अपलोड CA प्राक्कलन में CA स्थल का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग–2 में फीड किये गये CA स्थलों के क्षेत्रफलों में भिन्नता है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित प्राक्कलन यथास्थान पर अपलोड करें।
4. ऑनलाइन के क्रमांक–13(iii) में 3.88 हे0 का Geo Referenced Digital Map अपलोड नहीं किया गया है। अतः सभी पैचों का एक साथ स्पष्ट एवं सत्यापित Geo Referenced Digital Map अपलोड करें।

5. ऑनलाइन के क्रमांक–13(iv) में अपलोड SoI Toposheet प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित नहीं है।
6. ऑनलाइन के क्रमांक–13(v) में उपयुक्तता प्रमाण पत्र के स्थान पर वन स्वरूप प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलिट कर उपयुक्तता प्रमाण पत्र यथास्थान पर अपलोड करें।
7. याचक विभाग तथा प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।
8. परियोजना में पातन होने वाले बाधक वृक्षों का व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची एवं सारांश / गोशवारा अपलोड नहीं है।
9. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।
10. एन0पी0वी0 की गणना अपलोड नहीं है।
11. सेन्चुरी / वन्य जीव विहार से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण–पत्र अपलोड नहीं है।
12. अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
13. ऑनलाइन के क्रमांक–16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति पत्र के स्थान पर प्राक्कलन अपलोड किया गया है। अतः इसे डिलिट कर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति पत्र यथास्थान पर अपलोड करें।
14. पूर्ण प्रस्ताव की एक सिंगल पी0डी0एफ0 फाइल एवं Covering Letter एवं चेक लिस्ट कॉलम में टिक (√) करके चेक लिस्ट अपलोड करें।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् बिन्दुवार निराकरण ऑनलाइन अपलोड कर पूर्ण ऑनलाइन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 211 /11–सी–FP/UP/Road/146875/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, सीतापुर एवं हरदोई।
2. अधिशासी अभियन्ता, एन0एच0 डिवीजन, लो0नि0वि0, कानपुर।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।